न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शामली स्थित कैराना।
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–**867 / 2026**

सावेज पुत्र इरफान, निवासी ग्राम तित्तरवाडा, थाना झिंझाना, जिला शामली।

.....आवेदक / अभियुक्त,

बनाम

राज्य **.....विपक्षी,**

मु0अ0सं0 18 / 2026
धारा 109(1),191(2),190,351(2)
बी.एन.एस.
थाना कैराना, जिला शामली।

आवेदक / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता–**श्री मनीष कौशिक,**
राज्य– **जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक।**
दिनांकः–10.06.2026

आवेदक / अभियुक्त सावेज की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र शपथकर्ता खालिदा पत्नी इरफान द्वारा इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया गया है कि वह आवेदक / अभियुक्त की पैरोकार है तथा तथ्यों से परिचित है। आवेदक / अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। अन्य कोई जमानत प्रार्थना–पत्र न तो सत्र न्यायालय न ही माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा सरवर द्वारा संबंधित थाने पर इस आशय की तहरीर दी गयी कि दिनांक 05.01.2026 को समय करीब 21:20 बजे प्रार्थी अपने घर के अंदर था, तभी दो मोटरसाईकिल पल्सर व स्पलेण्डर पर सावेज, आवेश, नौमान, आलिम व दो अज्ञात व्यक्ति आए, जो अपने हाथों में तमंचे लिए हुए थे और प्रार्थी को आवाज देकर उस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया, जिससे वह बाल बाल बचा। फायर की आवाज सुनकर बाहर बैठे हुए अय्यूब, जमशेद व गांव के काफी व्यथ्क्त आ गए, जिन्हें देखकर अभियुक्तगण मौका मिलने पर जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। उक्त घटना को अंजाम देने में आरिफ पिस्टल उर्फ इनाम द्वारा करायी गयी। आरिफ उससे रंजिश रखता है। उक्त आरिफ पिस्टल अवैध तमंचे बेचने का काम करता है। उक्त पूरी घटना उसके घर में लगे हुए कैमरे में कैद हो गयी, जो उसके पास मौजूद है। वादी मुकदमा द्वारा दी गयी उक्त तहरीर के आधार पर संबधित थाने पर अभियुक्तगण सावेज, आवेश, नौमान, आलिम, आरिफ पिस्टल व दो अज्ञात के विरूद्ध मुकदमा अन्तर्गत धारा 109(1), 190, 191(2), 351(2) बी.एन.एस पंजीकृत हुआ।

आवेदक / अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना–पत्र इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक / अभियुक्त निर्दोष है, उसे इस मामले में रंजिशन पार्टीबाजी के आधार पर झूठा फंसाया गया है, उसने ऐसा कोई अपराध कारित नहीं किया है, जैसा कि मामले की प्राथमिकी में दर्शाया गया है। अभियुक्त का कोई गैंग नहीं है और न ही वह किसी प्रकार से समाज विरोधी क्रियाकलापों का कार्य करता है और न ही किसी गिरोह से उसका कोई संबंध है। उसने वादी पर कोई फायर नहीं किया है। आवेदक / अभियुक्त दिनांक 09.01.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। सहअभियुक्तगण की जमानत माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व में स्वीकार की जा चुकी है। उपरोक्त आधार पर आवेदक / अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया है।

अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) ने जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध किया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना एवं अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से दर्शित होता है कि आवेदक/अभियुक्त पर अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा पर जान से मारने की नीयत से फायर किए जाने व जान से मारने की धमकी दिए जाने का आरोप है। कथित घटना में वादी को कोई चोट आना नहीं बताया गया है और न ही कोई आघात आख्या पत्रावली पर उपलब्ध है। मामले में बाद विवेचना आरोपपत्र प्रेषित किया जा चुका है, अब कोई विवेचना शेष नहीं है। अभियोजन की ओर से आवेदक/अभियुक्त की पूर्व दोषसिद्धि का कोई तथ्य प्रकाश में नहीं लाया गया है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 09.01.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। इसके अतिरिक्त सहअभियुक्त जुनैद की जमानत इस न्यायालय द्वारा दिनांक 09.04.2026 व अभियुक्त आवेश उर्फ बिल्ली की जमानत दिनांक 01.05.2026 को स्वीकार की जा चुकी है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए गुण–दोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना यह न्यायालय जमानत का उचित आधार पाता है। तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **सावेज** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त को अंकन 50,000/–(रू0 पचास हजार) रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं इसी धनराशि के दो प्रतिभू संबंधित न्यायालय की संतुष्टि अनुरूप दाखिल करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाता हैः–

1. यह कि आवेदक/अभियुक्त विचारण में सहयोग करेगा।

दिनांक–10.06.2026

(प्रभारी)
सत्र न्यायाधीश,
शामली स्थित कैराना।